मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई। उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।' —— नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

'अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी में भाषण देकर हिन्दी को प्रतिष्ठित किया। भारत के सम्मान को दुनिया में बढ़ाया।' —— शिवराज सिंह चौहान, सीएम, मप्र

संक्षिप्त खबरें

नौकरानी ने की खुदकुशी मालिक गिरफ्तार

नई दिल्ली। नार्थ रोहिणी इलाके में एक नौकरानी ने कोठी में ही खुदकुशी कर ली। पुलिस को मौके पर से कोई सुसाइड नोट बरामद नही हुआ। नौकरानी की मां के बयान पर पुलिस ने कोठी के मालिक कमल किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान के लिए कुछ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में ली है। जिसकी सहायता से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। वह जेजे कॉलोनी नार्थ रोहिणी इलाके में रहती थी। उधर घटना के बाद 50 से ज्यादा लोगों ने कोठी पर पथराव किया। जिसमें इंस्पेक्टर कुलदीप और करीब 3 सिपाही को चोट लगी। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

महापौर ने गंदगी मुक्त दिल्ली अभियान चलाया

नई दिल्ली । उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश ने रविवार को किनारी बाजार क्षेत्र में गंदगी मुक्त दिल्ली अभियान चलाया। महापौर ने बताया कि गंदगी मुक्त दिल्ली अभियान में हर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया जा रहा है और ठोस अपशिष्ट पदार्थो का निपटान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वह हर क्षेत्र में जाकर सफाई व्यवस्था का जायजा ले रहे है। इस अवसर पर महापौर ने नागरिकों से भी क्षेत्र को स्वच्छ और हरा भरा बनाने में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों की मदद करने की अपील की।

कार्यकारिणी की बैठक

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय एवं कॉलेज कर्मचारी यूनियन की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें यह फैसला लिया गया है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों के कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कॉलेजों में तीन महीने से वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी यूनियन ने तय किया है कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय में 19 व 20 अगस्त को धरना-प्रदर्शन कर वीसी को ज्ञापन सौपा जाएगा जिसमें कर्मचारियों को तुरंत वेतन दिलाने की मांग की जाएगी। जल्द वेतन न मिला तो वाइस चांसलर का घेराव करेंगे।

शाहीन बाग के कई लोग भाजपा में शामिल

नई दिल्ली (एसएनबी)। सीएए विरोधी प्रदर्शन से देशभर के ध्यान खींचने वाले शाहीन बाग के कई लोग भाजपा में शामिल हो गए। शामिल होने वालों में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, दिल्ली सचिव एवं सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अली, गायनोलॉजिस्ट डॉ मेहरीन, इंटीरियर डेकोरेटर व पूर्व आप कार्यकर्ता तबस्सुम हुसैन आदि शामिल थे। भाजपा में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करायी। कार्यक्रम का संयोजन मीडिया पैनलिस्ट निगहत अब्बास ने किया और दिल्ली भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष मो. हारुन भी उपस्थित थे।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने दिलाई पार्टी की सदस्यता

श्याम जाजू ने कहा कि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का सिर्फ नारा ही नहीं दिया है बल्कि उसका क्रियान्वयन भी किया है। हर वर्ग, हर समुदाय को एक सूत्र में जोड़कर भाजपा सरकार ने देश के विकास को एक नई गति प्रदान की है। कांग्रेस ने 70 साल मुस्लिम समुदाय का शोषण किया, लेकिन भाजपा सरकार ने उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा। उल्लेखनीय है कि शाहीन बाग में भाजपा नीत केंद्र सरकार के खिलाफ महीनों विरोध चला था, और लोग संशोधित नागरिकता कानून का विरोध कर रहे थे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन प्रत्येक भारतीय का दायित्व : प्रो. देशपांडे

नई दिल्ली (एसएनबी)। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सम्पर्क प्रमुख प्रो. अनिरुद्ध देशपांडे ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाज को आगे ले जाने का चिंतन है। समाविष्ट शिक्षा ही शिक्षा नीति का अंतिम लक्ष्य है। शैक्षणिक संस्थाओं को सामाजिक दायित्व का बोध कराने वाली यह नीति है।

कार्यक्रम में न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रख्यात शिक्षाविद् दीनानाथ बत्रा, भारतीय विश्वविद्यालय संघ की महासचिव डॉ. पंकज मित्तल एवं भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव डॉ. वी.के. मल्होत्रा सहित अनेक केंद्रीय संस्थानों के प्रमुख एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों, एनआईटी, आईआईटी के कुलाधिपति, कुलपति, निदेशक, वरिष्ठ प्राध्यापक व देश के 30 प्रांतों से न्यास के 350 से अधिक वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे।

असंगठित कामगारों के लिए छह माह में बनेगा डाटाबेस

■ अमरेश कुमार
नई दिल्ली। एसएनबी

असंगठित क्षेत्र के कामगार एवं मजदूरों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस मनाया जा रहा है। इसके बनाए जाने से सरकार को काफी सहूलियत होगी और मजदूरों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ जल्द मिलेगा। असंगठित क्षेत्र के कामगारों एवं मजदूरों के पंजीयन को लेकर कई सालों से योजना चल रही है मगर अब तक उनका पंजीयन नहीं हो पाया है। डेटाबेस बनाने की जानकारी केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को दी है।

कई साल से योजना चल रही मगर अब तक नहीं हो पाया उनका पंजीयन

केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने असंगठित क्षेत्र के कामगारों एवं प्रवासी मजदूरों के लिए डेटाबेस बनाना शुरू कर दिया है जो छह महीने में पूरा हो जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि इसके लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है और वित्त मंत्रालय से इसकी अनुमति मिलने वाली है। यह डेटाबेस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार के इस बयान के बाद हाईकोर्ट ने उस याचिका को निपटा दिया जिसमें प्रवासी मजदूरों के पंजीयन को लेकर निर्देश देने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति प्रतिभा मनिंदर सिंह ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों एवं मजदूरों के लिए डेटाबेस एवं पोर्टल बन जाने से उनको सरकार द्वारा मिलने वाली लाभ मिलने में परेशानी नहीं होगी। उन्हें किसी भी विषम परिस्थिति में जल्दी मदद पहुंचा जा सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से डेटाबेस बनाने में तत्परता बरतने को कहा है और उससे संबंधित याचिका निपटा दिया। इस मामले में न्यायमूर्ति ने केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया था। दिल्ली सरकार ने कहा था कि उसने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के 710 शिकायतें मिली और उसमें से पचासी फीसदी मामले को निपटा दिया। उन लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर की भी शुरु आत की है और नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि उसने लॉकडाउन के दौरान 36 हजार प्रवासी मजदूरों को 10-10 हजार रुपए दिए है। पीठ ने के बाद दोनों सरकारों से मजदूरों के लिए तत्काल डाटाबेस बनाने को कहते हुए याचिका निपटा दी।

कोरोना के खिलाफ जंग में आगे रहे पशु प्रेमी

नई दिल्ली (एसएनबी)। वैश्विक महामारी कोरोना से जहां आमजन पीड़ित हैं वहीं पशु पक्षियों को भी इससे जूझना पड़ रहा है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में उन पशु प्रेमियों को सम्मानित किया गया, जो लगातार पशु-पक्षियों को कोरोना से बचाने में लगे हैं। कार्यक्रम में राज्य मानद पशु कल्याण अधिकारी योगेंद्र कुमार ने ध्वजारोहण किया।

समारोह को संबोधित करते हुए योगेंद्र कुमार ने कहा कि लॉकडाउन में भूखे प्यासे पशु-पक्षियों की देखभाल व भोजन की व्यवस्था पशु प्रेमियों ने निस्वार्थ भाव व लगन की। इसके साथ ही घायल पशु-पक्षियों का उपचार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे लोगों को सम्मानित करने में खुशी महसूस हो रही है। इन नागरिकों ने ऐसे जीवों की सहायता की, जो अपना दर्द बता नहीं सकते। अजय कुमार ने इन पशु प्रेमियों से उम्मीद जताई है कि वह आगे भी पर्यावरण को बचाने के लिए काम करते रहेंगे।

कार्यक्रम में पुलिस के अधिकारी विशेश्वर सिंह मलिक ने इन पशु प्रेमियों को कोरोना योद्धा का सम्मान देते हुए उनकी सराहना की। इस मौके पर वक्ता बीके पांडेय, जिला मानद पशु कल्याण अधिकारी इंद्र सोनी, अनिल चौधरी, कमलकांत समेत अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे।

ध्वनि प्रदूषण रोकने को अभी और भी कदम उठाने की जरूरत : एनजीटी

नई दिल्ली (एसएनबी)। ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा कि प्रदूषण रोकने में दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी (डीपीसीसी) एवं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) ने अहम कदम उठाए है, लेकिन अभी कुछ और कदम उठाए जाने की जरूरत है।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निगरानी करने की जरूरत है। उसने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से कहा कि वे पुलिस व सरकार के अधिकारियों से टीम बनाएं जिसमें एक डीसीपी रैंक के अधिकारी व एसडीएम आदि रहे और वह प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करें। साथ ही इस काम मे डीसीपी व एसडीएम को अलग से लगाया जाए। उसने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति एसपी गर्ग की अध्यक्षता वाली कमेटी से भी कहा कि वह प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने जाने के मुद्दे को देखें। उसने सीपीसीबी से भी कहा कि वह जुर्माने के नए नियम को लागू करें जिसमें प्रदूषण फैलाने वालों पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इससे पहले डीपीसीसी ने एनजीपी से कहा था कि सभी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण का स्तर सही था, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा था। दूसरी रिपोर्ट में ध्वनि प्रदूषण का लेवल कम पाया गया। औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने में मुख्य योगदान वाहनों का रहा। एनजीटी ने अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली गठित कमेटी से कहा कि प्रदूषण रोकने को लेकर और उसे किसी संस्था या किसी अन्य विशेषज्ञ से मदद लेने की जरूरत पड़े तो वह ले। साथ ही वह इस बाबत अपना रिपोर्ट दाखिल करें।

जुर्माने के नए नियम लागू करें जिसमें प्रदूषण फैलाने वालों पर एक लाख तक का प्रावधान है

जहरीले धुएं से बचाव के लिए पंजाब ने शुरू की योजना

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी में अक्टूबर महीने में धुंध छा जाती है व हवा जहरीली हो जाती है जिसका मुख्य कारण पंजाब व हरियाणा में पराली जलाया जाना है। यह राजधानी के लिए चिंता का विषय है, पंजाब व हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण (नियंत्रण) अथारिटी को सूचना दी है कि दोनों सरकारें प्रदूषण नियंत्रण के कारगर कदम उठा रहा है।

पंजाब व हरियाणा सरकार ने कहा कि वे किसानों की सुविधा के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापित करेंगे जहां किसानों को पराली को खेतों में तुरंत समाप्त करने के लिए आधुनिक ऊपकरण भाड़े पर मिल सकेगा। पंजाब सरकार ने अबतक 7378 सीएचसी खोले हैं लेकिन इस वर्ष इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी व 5200 नए सीएचसी खोले जाएंगे ताकि प्रत्येक गांव में यह केन्द्र किसानों की मदद करेगी व ज्यादा किसान यांत्रिक विधि से पराली समाप्त कर सकेंगे। पंजाब सरकार एक मोबाइल एप्प लांच करेगा ताकि लोग इस सुविधा को प्राप्त करने संबंधी जानकारी ले पाएंगे।

एनसीवेब ने निकाले गेस्ट टीचर्स की नियुक्तियों के आवेदन फार्म

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड (एनसीवेब) ने अपने 27 कॉलेज केंद्रों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाने वाले शैक्षिक सत्र 2020 -21 के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि 3 सितंबर है। ऑन लाइन फॉर्म जमा कराने के लिए बोर्ड की वेबसाइट और डीयू की वेबसाइट पर जाकर फार्म अपलोड व जमा कर सकते है।

आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 सितम्बर

नॉन कॉलेजिएट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड के श्री अरबिंदो कॉलेज सेंटर के प्रभारी प्रो हंसराज ने बताया है कि कोरोना के चलते इस वर्ष शैक्षिक सत्र अक्टूबर में शुरू होने की संभावना है। हर साल नॉन कॉलेजिएट का शैक्षिक सत्र अगस्त माह में शुरू हो जाता था लेकिन कोविड-19 के कारण इस साल विलंब से शुरू होगा। उनका कहना है कि नियमित कॉलेजों में एडमिशन की दूसरी व तीसरी लिस्ट जारी होने के बाद ही नॉन कॉलेजिएट में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होती है। इस बार सितंबर के अंतिम सप्ताह में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस साल बोर्ड के 26 सेंटरों पर शिक्षकों की संख्या में भी इजाफा होगा। यह इजाफा गत वर्ष ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण देने से छात्राओं की सीटें बढ़ने के कारण शिक्षकों की संख्या भी बढ़ेंगी।

ईडब्ल्यूएस कोटे से बढ़ी शिक्षकों की 25 फीसद सीटें : पिछले साल छात्राओं की बीए (प्रोग्राम) और बीकॉम (प्रोग्राम) में 10 फीसद सीटें बढ़ी थीं। इस बार 15 फीसद सीटें बढ़ने से लगभग 1400 शिक्षकों की नियुक्ति संभव है। ईडब्ल्यूएस के कारण बढ़ी सीटों पर ईडब्ल्यूएस शिक्षकों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। हर विभाग ने इस बार ईडब्ल्यूएस कोटे के शिक्षकों का अलग से पैनल बनाया है।

सुदीक्षा भाटी के पिता ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

ग्रेटर नोएडा (एसएनबी)। अमेरिका में पढ़ाई कर रही छात्रा सुदीक्षा भाटी की बुलंदशहर में औरंगाबाद के पास सड़क हादसे में मौत को एक सप्ताह हो गए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक पीड़ित परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी है। छात्रा के पिता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एक करोड़ की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, चार एकड़ भूमि का पट्टा व सुदीक्षा के नाम पर किसी सरकारी शिक्षण संस्थान का नामकरण अथवा स्थापना करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में छात्रा के पिता जितेंद्र भाटी ने कहा कि सुदीक्षा भाटी परिवार की आशा व उम्मीद थी,उसकी अकाल मृत्यु से पूरा परिवार न केवल बेसहारा हुआ है, बल्कि मानसिक रूप से टूट चुका है। जितेंद्र भाटी की सरकार से मांग है कि परिवार को एक करोड़ की आर्थिक सहायता, एक सदस्य को सरकारी नौकरी, चार एकड़ कृषि भूमि का पट्टा तथा सुदीक्षा के नाम से किसी सरकारी संस्थान का नामकरण अथवा स्थापना करने की मांग की है। जितेंद्र भाटी का कहना है कि परिवार के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है।

छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत का मामला

अधिकारियों ने परिजनों को दिखाई फुटेज : छात्रा के पिता जितेंद्र भाटी ने बताया कि रविवार को बुलंदशहर के डीएम, एसएसपी व अन्य अधिकारियों ने परिवार के पांच सदस्यों को बुलाया था। घटनास्थल की फुटेज दिखाई है। फुटेज घटनास्थल से करीब 8 किमी. दूर की थी, जिससे वह संतुष्ट नहीं थे।

परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे सपा नेता अतुल प्रधान

ग्रेटर नोएडा (एसएनबी)। दादरी क्षेत्र के डेरी स्कनर गांव की छात्रा सुदीक्षा भाटी की सड़क हादसे में मौत होने पर परिजनों को सांत्वना देने सपा नेता अतुल प्रधान रविवार को दूसरी बार पहुंचे। सपा ने छात्रा के परिवार के एक सदस्य को नौकरी व एक करोड़ रुपए सहायता राशि देने की मांग की है। ज्ञात हो कि डेरी स्कनर गांव की छात्रा सुदीक्षा भाटी की बीते 10 अगस्त को जनपद बुलंदशहर के औरंगाबाद के पास सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अमेरिका में पढ़ाई कर रही छात्रा की मौत से परिजनों को गहरा सदमा लगा है। पीड़ित परिजनों को सांत्वना देने के लिए राजनीतिक, सामाजिक व क्षेत्र के लोग डेरी स्कनर गांव पहुंच रहे हैं। रविवार को दूसरी बार सांत्वना देने पहुंचे सपा नेता अतुल प्रधान ने कहा कि 21 अगस्त को सुदीक्षा भाटी की शोक सभा की जाएगी।

नेशनल टैलेंट हंट का ऑनलाइन आयोजन

ग्रेटर नोएडा (एसएनबी)। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते ईएमसीटी द्वारा आयोजित नेशनल टैलेंट हंट-2020 का कॉन्टेस्ट ऑनलाइन कराया गया। प्रतियोगिता में देश से विभिन्न आयु वर्ग में बड़ी संख्या में बच्चे व युवाओं ने भाग लिया और अपनी डांस व सिंगिंग कला की वीडियो भेजी। प्रतियोगियों में से विजेताओं का निर्णय कथक नृत्य में पारंगत त्रिभुवन महाराज व उनकी पत्नी श्रीमती रजनी त्रिभवन महाराज ने किया। बता दें कि त्रिभुवन महाराज बिरजू महाराज के प्रपौत्र हैं। टैलेंट हंट की आयोजक रश्मि पाण्डेय ने बताया कि 4-7 आयु वर्ग में दृष्टि प्रथम, साक्षी द्वितीय एवं अर्णव तृतीय स्थान पर रहें। वहीं 8-12 आयु वर्ग में सोनाक्षी प्रथम, ध्रुवि गिरी द्वितीय व गौरी शाह तृतीय स्थान पर रहीं। 13-17 आयु वर्ग में दृष्टि सक्सेना प्रथम, ऋषिका शाह द्वितीय एवं नव्या संगल तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्पेशल वर्ग में मुरादाबाद से यशस्वी शर्मा, दिल्ली से अक्षिना, नोएडा से आराध्या को सराहना मिली। रश्मि पाण्डेय ने बताया कि ऑनलाइन प्रतियोगिता के जजों ने प्रतिभागियों के वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखकर निर्णय लिया। उनका कहना है कि देश में बहुत प्रतिभा छुपी हुई है, लेकिन सामने नहीं आ पातण्ठ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निशुल्क क्लासेज भी दे जाती हैं। बच्चों की प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जाता है।

जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड

JUBILANT FOODWORKS

सीआईएनः L74899UP1995PLC043677
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट 1ए, सेक्टर 16ए, नोएडा–201301, उ.प्र.
कॉरपोरेट कार्यालयः 5वीं मंज़िल, टॉवर डी, लोजिक्स टैक्नो पार्क, सेक्टर–127, नोएडा–201304, उ.प्र.
फोनः +91-120-4090500, फैक्सः +91-120-4090599
वेबसाइटः www.jubilantfoodworks.com, ईमेलः investor@jublfood.com

25वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा **सूचना** दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (लिस्टिंग के दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 के साथ पठित परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 तथा परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 ("एमसीए परिपत्रों") तथा सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 (एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र सामूहिक रूप से "परिपत्रों" कहे गए हैं) के अनुपालन में, **जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड** ("कम्पनी") के सदस्यों की **पच्चीसवीं (25वीं) वार्षिक आम बैठक** ("एजीएम"), **मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020 को पूर्वा. 11.00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम")** सुविधा के माध्यम से, बैठक में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट") के साथ कम्पनी के उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि से भेजी जाएगी, जिनकी ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स के पास पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.jubilantfoodworks.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज अर्थात् बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

कम्पनी अपने सदस्यों को एजीएम में निष्पादन हेतु प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग सुविधा तथा एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है तथा उक्त सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपस्थित उन सदस्यों को वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके द्वारा प्रस्तावों पर अपना वोट रिमोट ई–वोटिंग द्वारा नहीं डाला गया है। जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं, परंतु उनको दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। रिमोट ई–वोटिंग सुविधा तथा एजीएम में ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और विधि तथा वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु अनुदेश एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए गए हैं।

सदस्यगण, जिनकी ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरीज़ के पास पहले से पंजीकृत हैं, वे रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम में ई–वोटिंग के लिए एजीएम में उपलब्ध कराए गए अनुदेशों का पालन कर सकते हैं। सदस्यगण, जिनकी ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे कम्पनी से वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाएं इत्यादि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करने के लिए अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत अथवा अद्यतन कराने हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। ई–मेल आईडी का सफल पंजीकरण होने पर, ई–वोटिंग के लिए लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड सदस्य की पंजीकृत ई–मेल आईडी पर भेजा जाएगा :

1. डीमैट धारण : सदस्य, जो कम्पनी के इक्विटी शेयर डीमैट रूप में धारण किए हुए हैं तथा जिनके द्वारा अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाई गई है, लिंक : https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html पर क्लिक करके तथा उसमें दी गई पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करके कम्पनी के आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. के पास अपनी ई–मेल आईडी अस्थायी रूप से पंजीकृत करवा सकते हैं। किसी संदेह की स्थिति में, सदस्य rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर ई–मेल भेज सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि डीमैट खाते में ई–मेल आईडी तथा बैंक विवरण के स्थायी पंजीकरण के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट ("डीपी") से सम्पर्क करें और डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का पालन करें।
2. भौतिक धारण : सदस्य, जो कम्पनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में धारण किए हुए हैं तथा जिनके द्वारा अपनी ई–मेल आईडी तथा/अथवा बैंक विवरण पंजीकृत नहीं करवाया गया है, लिंक : https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html पर क्लिक करके तथा उसमें दी गई पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करके कम्पनी के आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. के पास अपना विवरण पंजीकृत करवा सकते हैं। किसी संदेह की स्थिति में, सदस्य rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर ई–मेल भेज सकता है।

यह सूचना, उपरिवर्णित परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी के सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए दी जा रही है।

कृते **जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड**
हस्ता/–
मोना अग्रवाल
कम्पनी सचिव

दिनांकः 14 अगस्त, 2020
स्थानः नोएडा (उ.प्र.)

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि.
कायमगंज, जनपद–फर्रूखाबाद

पत्रांक– क्रय/2020–21/623 दिनांकः 14.08.2020

निविदा सूचना

सत्र 2020–21 हेतु इस चीनी मिल में ई–टेण्डर के माध्यम से वाह्य गन्ना क्रय केन्द्रों से गन्ना परिवहन चीनी गोदामों एवं डायर हाऊस से सम्बन्धित कार्यो तथा मुहरबन्द निविदाओं के माध्यम से चीनी मिल के ई.टी.पी. संचालन, मिल के वेट स्क्रेबर से निकलने वाली राख को हंटाने, बैगास हटाने के कार्यों एवं आसवनी इकाई इथेनॉल प्लॉट को चलाने हेतु पी.आर.बी. डिवाईस की आपूर्ति एवं स्थापना, मल्टी साईक्लोन लगाने, ब्यायलर गैस बर्नर असेम्बली तथा कूलर की बॉडी बनाने के कार्य हेतु दिनांक 28.08.2020 से 06.10.2020 तक इच्छुक एवं अनुभवी निविदा दाताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती है, विस्तृत जानकारी वेब–साईट www.etender.up.nic.in एवं मिल कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

प्रधान प्रबन्धक

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा–I

12वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली–110001, फोनः 011-23701070, 23701097, 23701157, 23701167, 23701195, फैक्स : 23701202, ई–मेलः sbi.04109@sbi.co.in

ई–नीलामी बिक्री सूचना

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक/गिरवी/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत – दाता (भारतीय स्टेट बैंक) से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 21.09.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

कर्जदार (बी)/गारंटर (रों) (जी)/ का नाम पता/पते सहित	नीलामी के अधीन आवृत्त प्रभारित प्रतिभूति का पता	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%) / वृद्धि राशि	मांग सूचना की तारीख एवं बकाया राशि	सम्पति का स्थल पर निरीक्षण करने हेतु तिथि एवं समय एवं प्राधिकृत अधिकारी का नाम	ई–नीलामी की तिथि / समय 5 मिनट प्रत्येक के आसीमित स्वतः विस्तार सहित
(1) ज़िलियन इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा. लि., 5वां तल प्लॉट नं. 2 अनुष्का शॉपिंग मॉल, गर्ग ट्रेड सेंटर सैक्टर–11, रोहिणी दिल्ली – 110085 (2) यूनिफाइ क्लोथिंग लि., 5वां तल प्लॉट नं. 2 अनुष्का शॉपिंग मॉल, गर्ग ट्रेड सेंटर सैक्टर–11, रोहिणी दिल्ली – 110085 (3) श्री सीएस सक्सेना पुत्र श्री रघुबीर किशोर दुन्धा निवासी : 79, दीपाली, पीतमपुरा दिल्ली – 110034 (4) श्रीमती अनिता सक्सेना पत्नी श्री सी एस सक्सेना निवासी : 79, दीपाली, पीतमपुरा दिल्ली – 110034 (5) श्री अनंत सक्सेना पुत्र श्री रघुबीर किशोर दुन्धा निवासी : 79, दीपाली, पीतमपुरा दिल्ली – 110034 (6) श्रीमती रश्मि सक्सेना पत्नी श्री अनंत सक्सेना निवासी : 79, दीपाली, पीतमपुरा दिल्ली – 110034 (7) श्री नरेंद्र किशोर प्रदीप पुत्र श्री रघुबीर किशोर दुन्धा निवासी : 79, दीपाली, पीतमपुरा दिल्ली – 110034 (8) श्रीमती शीला सक्सेना पत्नी श्री नरेंद्र किशोर प्रदीप निवासी : 79, दीपाली, पीतमपुरा दिल्ली – 110034 (9) श्री नवल किशोर सक्सेना पुत्र श्री रघुबीर किशोर दुन्धा निवासी : 79, दीपाली, पीतमपुरा दिल्ली – 110034 (10) श्रीमती प्रीति सक्सेना पत्नी नवल किशोर सक्सेना, निवासी : 79, दीपाली, पीतमपुरा दिल्ली – 110034	रिहायशी फ्लैट नं. 301 और 302, तृतीय तल पर, प्लॉट नं. 35, अडोस पड़ोस अपार्टमेंट, बंगाली स्कॅायर कॉलोनी के पास जिसे अब आशीष नगर कहते है, इंदौर (एमपी) में स्थित, यह सम्पत्ति यूनिफाइ क्लोथिंग प्रा. लि. (यूसीपीएल) के नाम पर है। प्रत्येक का क्षेत्रफल 878 वर्ग फीट, (सांकेतिक कब्जा)	₹ 37.00 लाख / ₹ 3.70 लाख / ₹ 1.00 लाख	SBI दिनांक 11-07-2018 को, HDFC दिनांक 29-11-2018 को, ICICI दिनांक 25.09.2018 को, PNB दिनांक 19-09-2018 को, OBC Bank दिनांक 19-07-2018 और लक्ष्मी विलास बैंक दिनांक 06-11-2018 को SBI रु. 79,00,84,826.83 दिनांक 10-07-2018 तक HDFC रु. 5,27,48,448.91 दिनांक 31-10-2018 तक ICICI रु. 26,77,85,840.82 दिनांक 31-08-2018 तक, PNB रु. 19,31,10,219.40 दिनांक 30-11-2017 तक, OBC रु 6,23,21,261.66 दिनांक 30-06-2018 तक और लक्ष्मी विलास बैंक रु. 31,24,93,612.75 दिनांक 31-10-2018 तक कुल रु. 167,85,44,210.37	04-09-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपर्राह्न 4.00 बजे तक प्राधिकृत अधिकारीः श्री अनुज गुप्ता मो. नं. 9643681996 रिजॉल्यूशन एजेंट श्री मनोज सूरी मो. 9871975152 मैसर्स बीआरएस कॉर्पोरेट सोल्यूशंस प्रा. लि.	21-09-2020 दोपहर 12.00 बजे से अपरा. 01.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के आसीमित स्वतः विस्तार सहित
	खाली प्लॉट नं. 17, भूमि सर्वे नं. 25/1, गाँव बिचौली हापसी, गोकुल नगर, मेन कनाडिया रोड/ एनएच–3, बॉय पास, इंदौर (एमपी) में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती रश्मि सक्सेना के नाम पर है। क्षेत्रफल 500 वर्ग गज	₹ 113.00 लाख / ₹ 11.30 लाख / ₹ 1.00 लाख			
	खाली प्लॉट नं. 21, भूमि सर्वे नं. 25/1, गाँव बिचौली हापसी, गोकुल नगर, मेन कनाडिया रोड/ एनएच–3, बॉय पास, इंदौर (एमपी) में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती शीला सक्सेना के नाम पर है। क्षेत्रफल 500 वर्ग गज	₹ 113.00 लाख / ₹ 11.30 लाख / ₹ 1.00 लाख			

अनुरोध पत्र, केवाईसी दस्तावेजों, पैन कार्ड, ईएमडी जमा करने का प्रमाण आदि जमा करने की तिथि व समय और धरोहर राशि RTGS/NEFT के माध्यम से दिनांक 18-09-2020 अपर्राह्न 4.00 बजे तक या उस से पहले जमा करें

भावी बोलीदाता धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट/आर टी जी एस/एन ई एफ टी के रुप में खाता संख्या 33108475877, "THE AUTHORISED OFFICER, SBI, SAM BRANCH-1, NEW DELHI", IFSC Code: SBIN0004109, में जमा करें यदि धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमा करते है तो 'भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा–1, नई दिल्ली के पक्ष में जो कि नई दिल्ली में देय हो, व किसी राष्ट्रीकृत या शिडयूल बैंक में बना हो जमा करें।

ई–नीलामी हेतु नियम व शर्तेः–
ई–नीलामी "जैसा है जहाँ है" तथा "जैसा है जो भी है" के आधार पर ऑन लाईन आयोजित की जायगी।
यह नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता M/S C-1 India Pvt. Ltd., हेल्पलाईन नं. 0124-4302020/21/23/24/25, श्री विनोद, मो. नं. 9813887931 एवं ई–मेल : support@bankeauctions.com) के माध्यम से वेबपोर्टल https://www.bankeauctions.com पर ऑनलाईन संचालित की जायेगी। ऑनलाइन नीलामी बिक्री के अन्तर्गत ई–नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणापत्र, समान्य नियम व शर्तें आदि निविदा दस्तावेज वेबपोर्टल साईट https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध है।
अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सम्पत्ति(यों) पर कोई प्रभार नही है। तथापि इच्छूक बोलीदाता(ओं) को, ऋणभार, नीलामी में रखी गयी सम्पत्ति(यों) के स्वामित्व तथा सम्पत्ति(यों) को प्रभावित करने वाले दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के संबन्ध में अपनी स्वयं स्वतन्त्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व कर लेनी चाहिए। इस संदर्भ में ई–नीलामी विज्ञापन, बैंक की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता/वचनबद्धता निर्मित नही करता है और न ही कोई वचनवद्धता/प्रतिवद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जायेगा।
प्राधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत लेनदार किसी तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। यह ई–नीलामी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों/शर्तों के अनुसार की जायेगी।
ई–नीलामी के अन्य नियम व शर्ते निम्नलिखित वेबसाईटों पर प्रकाशित की गई है। 1. https://www.bankeauctions.com 2. http://www.sbi.co.in

सरफासी ऐक्ट, 2002 के अधीन बिक्री हेतु कानूनी नोटिस

तिथि : 17.08.2020, स्थान : नई दिल्ली — हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक